न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 77/2017 G.C.M.S. No. 2017/00393 दर्ज दिनांक : 09.10.2017

अपीलार्थिगण:

1. नरपतसिंह पुत्र श्री सवाईसिंह उम्र 47 वर्ष जाति राजपूत निवासी सिवास तहसील रानी जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. सायरकंवर पत्नि सवाईसिंहजी उम्र 72 वर्ष जाति राजपूत
2. जब्बरसिंह पुत्र सवाईसिंह उम्र 32 वर्ष जाति राजपूत
3. कैलाशकंवर पुत्री सवाईसिंह उम्र 30 वर्ष जाति राजपूत
4. नरेन्द्रकंवर पुत्री सवाईसिंह उम्र 25 वर्ष जाति राजपूत
5. श्यामकंवर पुत्री सवाईसिंह उम्र 30 वर्ष जाति राजपूत निवासीगण सिवास तहसील रानी जिला पाली।
6. स्व. मदनसिंह पुत्र जोरसिंह के कायम मुकाम
   6/1 विरेन्द्रपालसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत
   6/2 सत्यपालसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत
   6/3 मरूधरकंवर पुत्री मदनसिंह जाति राजपूत
   6/4 शैलकंवर पत्नि मदनसिंह जाति राजपूत
7. धर्मकंवर पत्नि हनवंतसिंह उम्र 52 वर्ष जाति राजपूत
8. प्रेमकंवर पुत्री जोरसिंह उम्र 57 वर्ष जाति राजपूत निवासीगण सिवास तहसील रानी जिला पाली।
9. शैतानसिंह पुत्र भंवरसिंह उम्र 66 वर्ष जाति राजपूत
10. ईश्वरसिंह पुत्र भंवरसिंह उम्र 60 वर्ष जाति राजपूत
11. मोहनकंवर पत्नि नाथुसिंह उम्र 77 वर्ष जाति राजपूत निवासीगण सिवास तहसील रानी जिला पाली।
12. पुष्पाकंवर पुत्री नाथुसिंह पत्नि शक्तिसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत उम्र 52 वर्ष निवासी मुरलिया पोस्ट चौगावडी तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ़।
13. गोपालसिंह पुत्र मोहब्बतसिंहजी उम्र 40 वर्ष जाति राजपूत
14. विक्रमसिंह पुत्र मोहब्बतसिंहजी उम्र 30 वर्ष जाति राजपूत
15. इन्दरसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह उम्र 27 वर्ष जाति राजपूत
16. सरोजकंवर पुत्र मोहब्बतसिंह उम्र 34 वर्ष जाति राजपूत निवासीगण सिवास तहसील रानी जिला पाली।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी देसूरी के आदेश मय अंतिम डिक्री दिनांक 08.05.2017 द्वारा राजस्व वाद संख्या 16/2015 बअनवान गोपालसिंह बनाम मदनसिंह वगैरह एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

उपस्थित–

1. श्री मांगीलाल प्रजापत, श्री कमलेश चौहान, श्री मुकेश आर्य विद्वान अभिभाषक अपीलांट।

Scanned with OKEN Scanner

2. श्री नरेश देवड़ा विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांकः 27.03.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी देसूरी के आदेश मय अंतिम डिक्री दिनांक 08.05.2017 द्वारा राजस्व वाद संख्या 16/2015 बअनवान गोपालसिंह बनाम मदनसिंह वगैरह के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अपीलाण्ट व रेस्पोंडेन्ट सं. 1 से 16 की सयुक्त कब्जाकास्त भूमि मौजा सरहद गांव गुडा जैतावतान भू–अभिलेख सर्किल मगरतलाब तहसील देसूरी के पुराने खसरा नम्बर 5, 2/1, 5/1, 2 मीन कुल रकबा एक सौ सवा उनचालीस बीघा जिसके नये नम्बर 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 20, व 30 कुल रकबा 22.66 हैक्टेयर कृषि भूमि विद्यमान है। उक्त कृषि भूमि पूर्व में स्वर्गीय प्रतापसिंह पुत्र श्री तेजसिंह जाति राजपूत निवासी सिवास की खातेदारी कब्जासुदा थीं। स्वर्गीय प्रतापसिंह के वारिसान, स्वर्गीय भंवरसिंह, स्वर्गीय जोरसिंह, स्वर्गीय सवाईसिंह, स्वर्गीय मोहब्बतसिंह व स्वर्गीय नाथूसिंह सहित पांच पुत्र थें। जिन्होंने बराबर–बराबर हिस्सा 1/5 वां प्रत्येक ने ले रखा था। जिसमें से स्वर्गीय नाथूसिंह के वारिसान रेस्पोंडेन्ट 11 व 12 ने सन् 1996 में अपना हिस्सा अलग करवा लिया था एवम गैर मुमकिन कुंए व सडा खसरा नम्बर 14, 15, व 16 में सामलाती हिस्सा रहा था। शेष कृषि भूमि नये नम्बर खसरा नम्बर 4, 5, 6, 10 मीन, 11, 12, 13, 17, 20 व खसरा नम्बर 30/521 रकबा कुल 17.66 हैक्टेयर कृषि भूमि शेष चार भाई भंवरसिंह, जोरसिंह, सवाईसिंह, व मोहब्बतसिंह की संयुक्त खातेदारी होने से अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण गोपालसिंह वगैरह ने अपने 1/4 हिस्से के लिए बंटवारा व स्थाई व्यादेश का वाद पेश किया। जिसमें आदेश दिनांक 22.03.2016 को आदेश व डिक्री विधिविरूद्ध व विधि के तथ्यों के विपरित पारित किया गया। अपीलाण्ट व रेस्पोंडेन्ट सं. 1 से 5 स्वर्गीय सवाईसिंह के वारिसान है, रेस्पोंडेन्ट सं. 6 से 8 जोरसिंह के वारिसान है, रेस्पोंडेन्ट सं. 9 से 10 भंवरसिंह के वारिसान है, रेस्पोंडेन्ट सं. 13 से 16 स्वर्गीय मोहब्बतसिंह के वारिसान है एवम रेस्पोंडेन्ट सं. 11 से 12 स्वर्गीय नाथूसिंह के वारिसान होने से पक्षकार संयोजित किया गया है। वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी का बंटवारा का आदेश व डिक्री पक्षकारों को बिना सुने ही बाई मिट्स एवम बाउण्डस् के प्रावधान का उल्लंघन करते हुए जारी कर दी। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश व डिक्री पारित करने से पूर्व प्रतिवादी सं. 1 मदनसिंह पुत्र श्री जोरसिंह की मृत्यु हो जाने से काश्तकार जीवित है या नहीं, ऐसी पटवारी से कोई रिपोर्ट नहीं ली एवम वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी एबेट हो चुका था। क्योंकि प्रतिवादी सं. 1 की मृत्यु हों चुकी थीं एवम वादी ने उसके उत्तराधिकारियों को रेकर्ड पर लिये जाने एवम उन्हें सुनवाई का अवसर

Scanned with OKEN Scanner

देने हेतु आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सी.पी.सी का आवेदन पेश नहीं किया एवम एबेट वाद को पुनः रेस्टोर कराने की कार्यवाही भी नहीं की गई। इस वजह से स्वर्गीय व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय आदेश पारित नहीं कर सकता। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश व डिक्री दिनांक 22.03.2016 विधिविरूद्ध पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व अपने स्वविवेक से वादी का हिस्सा अलग दर्ज करने हेतु अपनी इच्छा से खसरा नम्बर 17/1, 20/1 व 30/521 कुल रकबा 4.41 हैक्टेयर भूमि वादी के हक दर्ज करने का आदेश दे दिया, जबकि शेष भूमि प्रतिवादी सं. 1 से 11 के हक में 3/4 भूमि सामलाती दर्ज करने का आदेश दे दिया। जोकि कानूनन गलत है। क्योंकि बंटवारा सभी हिस्सेदारों का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा दर्ज किया जाना था, तो बार–बार बंटवारे का दावा लाना कानूनी गलत है एवं वादी का जो 1/4 हिस्सा दर्ज करने आदेश दिया, उसमें किसी की सहमति वगैरह नहीं ली थीं एवम पत्रावली में वाद पत्र को साबित किये जाने बाबत् कोई साक्ष्य वादी शहादत नहीं ली गई। प्रकरण में विधिवत तामिल नहीं करवाई गई एवम सभी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया एवम प्रकरण में शहादत बयान नहीं लिये गये एवम वाद हेतुक बाबत् साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं होने से आदेश व प्राथमिक डिक्री काबिल खारिज है एवम पत्रावली में दिनांक 25.06.2016 को रेस्पोंडेन्ट तहसीलदार देसूरी ने जरिये पटवारी जो आदेश दिनांक 22.03.2016 की अनुपालना में बंटवारा प्रस्ताव व रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय में पेश की। जिस पर किसी काश्तकार के हस्ताक्षर नहीं हैं एवम पटवारी हल्का ने सभी काश्तकारों को मौके पर बुलाकर वादी को किस तरफ कौनसे खसरे में कितना हिस्सा देना है एवम प्रतिवादीगण के पास कौनसा हिस्सा रहेगा, ऐसी कोई सहमति नहीं लेने से एवम अधिनस्थ न्यायालय ने बिना सूचना दिनांक 08.05.2017 को कैम्प में अन्तिम आदेश व डिक्री पारित की, जो काबिल खारिज है। अपीलाण्ट ने उक्त आदेश को निरस्त करवाने हेतु दिनांक 17.08.2016 को अधिनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत पेश किया था। पत्रावली वास्ते जवाब हेतुक रखी गई थीं। लेकिन प्रकरण में अपीलाण्ट को सुने बिना एवम प्रार्थना पत्र पर आदेश किये बिना दिनांक 08.05.2017 को पत्रावली का अन्तिम निस्तारण केम्प में कर दिया गया। जिसकी जानकारी न्यायालय ने अपीलाण्ट को नहीं दी एवम न ही अपीलाण्ट को केम्प में उपस्थित रहने का कोई नोटिस जारी किया। अपीलाण्ट को आदेश की जानकारी होने पर दिनांक 29.08.2017 को होने पर वकील के मार्फत नकल लेने का प्रार्थना पत्र पेश किया एवम दिनांक 29.08.2017 को अधिनस्थ न्यायालय से कुछ नकलें मिली एवम कुछ नकलें दिनांक 07.09.2017 को मिली, तत्पश्चात उक्त अपील श्रीमान के

Scanned with OKEN Scanner

समक्ष प्रस्तुत कर दी गई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर जैर अपील आदेश मय अंतिम डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 08.05.2017 के विरूद्ध हस्तगत अपील दिनांक 12.09.2017 को प्रस्तुत की। जो विलंब के साथ प्रस्तुत हुई। अपीलांट द्वारा विलंबकाल के संबंध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 08.05.2017 की उसे कोई जानकारी नहीं थीं। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलांट को दिनांक 29.08.2017 को हुई। जिसकी नकल आदि लेकर अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपील अंदर म्याद शुमार फरमावें।
2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण सहखातेदारी भूमि के विभाजन से संबंधित है तथा अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से अपीलांट प्रतिवादी के विरूद्ध विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 09.11.2015 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 25.02.2016 को प्राथमिक डिक्री पारित की गई। तत्पश्चात अपीलांट प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा विचारण न्यायालय में आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसका जवाब उपरांत विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलांट को समुचित तामील होने के बावजूद अनुपस्थित रहने, विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 का प्रार्थना पत्र व शपथपत्र प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। प्राथमिक डिक्री पर तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत कर देने उपरांत विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 08.05.2017 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। प्रतिवादी व वादी वादग्रस्त आराजी में सहखातेदार है तथा एक ही गांव के निवासी है। अपीलांट के अलावा रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 5 अपीलांट के पारिवारिक सदस्य है। जिनकी ओर से अपील प्रस्तुत नहीं हुई हैं। विचारण न्यायालय द्वारा कैम्प कोर्ट में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री गुणावगुण के आधार पर प्रस्तुत की गई हैं। अपीलांट द्वारा 120 दिवस विलंब के साथ अपील प्रस्तुत की गई हैं। विलंबकाल माफ करने के

Scanned with OKEN Scanner

लिए प्रार्थी को विलंब के लिए एक–एक दिन का कारण दर्शित करना होता है। प्रार्थी अपीलांट द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी किस प्रकार से हुई। अपीलांट द्वारा विलंबकाल के लिए किसी प्रकार का युक्तियुक्त, सद्भाविक व समुचित कारण प्रकट नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हमारे विनम्र मत में विलंबकाल माफ किया जाना उचित व विधिसम्मत नहीं होगा। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 खारिज करते हुए अपील अपीलांट परिसीमा अवधि से बाधित होने से अपील अपीलांट खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपीलांट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांट परिसीमा अवधि से बाधित होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **27.03.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner